न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 191 / 2022 दर्ज तिथि :– 22.09.2022

श्री कैलाशचन्द्र पिता उदयराम जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बोराखेडी हाल नगरपालिका कर्मचारी कॉलोनी, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री विकास पिता दमनलाल जैन निवासी निम्बाहेड़ा।
2. श्री शोभागमल पिता गणपतलाल सुथार निवासी बोराखेडी।
3. जमनालाल पिता गणपतलाल सुथार निवासी बोराखेडी।
4. रामचन्द्र पिता गणपतलाल सुथार निवासी बोराखेडी।
5. कमला बाई पत्नि कालुराम जाति ब्राह्मण निवासी बोराखेडी।
6. गोपाल पिता जगदीश नाबालिग जरिये सरपरस्त माता बसंतीबाई पत्नि जगदीश ब्राह्मण निवासी बोराखेडी।
7. चतरभुज पिता कालुराम ब्राह्मण निवासी बोराखेडी।
8. पृथ्वीराज पिता कालुराम ब्राह्मण निवासी बोराखेडी।
9. बसंतीबाई पत्नि जगदीश ब्राह्मण निवासी बोराखेडी।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़

. ...अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री इन्दरलाल भाम्बी
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि :– 23.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या 39 वाके ग्राम बोराखेडी, पटवार हल्का, बडोली माधोसिंह तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी का विवरण निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:40 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
39	श्री कैलाश चन्द्र पिता उदयराम शर्मा सा. निम्बाहेड़ा खातेदार	11	1.26 हैक्टेयर
	योग	1	1.26

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

2. यह कि प्रार्थी की उक्त आराजी के पुराने साबिक आराजी नम्बर 643/516 रकबा 5 बीघा है, जो कि मौके पर पंचभुजाकार में स्थित थी और इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी आज भी काबिज है परन्तु नवीन सेटलमेन्ट पश्चात उक्त साबिक आराजी के नवीन आराजी नम्बर 911 रकबा 1.26 हैक्टेयर बने होकर नवीन नक्शा कायम हुआ तो उक्त जमीन का रकबा कम करते हुए नक्शा ट्रेस में भी परिवर्तन करते हुए जमीन चतुर्भुज आकार मे दर्ज कर तरमीम कर दी जिससे करीब 2 बीघा जमीन का रकबा मौके पर कम हो गया। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थी की खातेदारी की नवीन आराजी नम्बर 911 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि की नक्शें में तरमीम पुराने साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की नवीन आराजी नम्बर 911 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि का नक्शा साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की नवीन आराजी की तरमीम दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

4. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मौजा बोराखेडी की आराजी नम्बर 911 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्री कैलाशचन्द्र पिता उदयराम शर्मा सा. निम्बाहेडा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। आराजी नम्बर 911 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 643/516 रकबा 5 बीघा से बना हुआ है। वर्तमान आराजी नम्बर 911 की रकबा बरारी अर्थात आराजी के नक्शे की क्षेत्रफल का माप ज्ञात करने पर कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर ही पाया गया। जो कि राजस्व रिकार्ड अनुसार सही है। पुराने गत भू–प्रबंध की आराजी नम्बर 643/516 का साबिक नक्शा पंचभुजाकार तरमीमशुदा वाला था उस नक्शे की रकबा बरारी कर क्षेत्रफल ज्ञात करने पर कुल रकबा 5 बीघा से अधिक आता है अर्थात आराजी नम्बर 643/516 के नक्शे की तरमीम अधिक रकबे पर कर दी गई, जो कि राजस्व रिकार्ड अनुसार पुरानी तरमीम गलत दर्ज है। वर्तमान राजस्व नक्शा में आराजी नम्बर 911 रकबा 1.26 हैक्टेयर की की गई तरमीम रकबे अनुसार सही है और पुराने साबिक नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने पर आराजी का रकबा बढ जाता है जो कि विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा पुराना साबिक नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र गलत प्रतीत होता है। जांच रिपोर्ट के अन्त में प्रकरण स्वीकार योग्य नही होने से निरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:40 IST
Reason: SelfAttested

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक [illegible]

> ***136. Correction of errors.***– *The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

6. इस प्रकार राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के तहत प्रार्थना—पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर 643/516 रकबा 5 बीघा का तरमीम नक्शा पंचभुजाकार होकर नक्शे की रकबा बरारी अर्थात नक्शे के क्षेत्रफल का माप ज्ञात करने पर यह 5 बीघा से अधिक आता है। प्रार्थी की नवीन आराजी नम्बर 911 रकबा 1.26 जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 643/516 रकबा 5 बीघा से बनी है और नक्शा चतुर्भुजाकार तरमीम किया है के नक्शे की रकबा बरारी कर क्षेत्रफल ज्ञात करने पर रकबा 1.26 हैक्टेयर ही होता है जो राजस्व रिकार्ड अनुसार सही है। अतः प्रार्थी की नवीन आराजी नम्बर 911 रकबा 1.26 हैक्टेयर के नक्शे का रकबा बरारी से क्षेत्रफल ज्ञात करने पर 1.26 हैक्टेयर ही आने से उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 प्रार्थी की आराजी नम्बर 911 रकबा 1.26 हैक्टेयर के नक्शे की रकबा बरारी कर क्षेत्रफल ज्ञात करने पर 1.26 हैक्टेयर ही आने के कारण किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:40 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 23.05.2023 को [illegible] गांवों के संग अभियान केम्प स्थल ग्राम पंचायत, बडोली माधो[illegible] में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा